न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष - एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1058/एक/2016 - विरूद्ध - आदेश दिनांक - 17 मार्च, 2006 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 45/2005-06 अपील

1- मनोज 2- जितेन्द्र सिंह पुत्रगण सुखवीर सिंह
3- श्रीमती कमला पत्नि स्व0 सुखवीर सिंह
4- श्रीमती मनोरमा पत्नि मुनेश सिंह
5- अमल पुत्र मुनेश नावालिक सरपरस्त
माता मनोरमा पत्नि मुनेश
6- श्रीमती रामवेटी पत्नि भुजवीर
7- रामपाल पुत्र शिवदत्त सिंह
8- बब्बू 9- कल्याण सिंह 10 - वीरेन्द्रसिंह
पुत्रगण दुर्गविजय सिंह ठाकुर निवासीगण
ग्राम रौन तहसील रौन जिला भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के पेनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 3-11 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 45/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-3-2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक मनोजकुमार आदि ने तहसीलदार रौन के समक्ष आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम रौन की भूमि सर्वे नंबर 297, 298 एंव इसी भूमि से लगी हुई सर्वे नंबर 301/1 की भूमि उनके स्वामित्व की भूमि है जो साथ साथ मिली हुई भूमि हैं इसी भूमि से शासकीय भूमि सर्वे कमांक 301/2, 301/3 है जिसमें से 301/2 की भूमि मरघट एंव 301/3 की भूमि खलिहान के रूप में शासकीय रिकार्ड में अंकित चली आ रही है । मौके के अनुसार सर्वे नंबर 299 के वाद सर्वे नंबर 301/1 पर वह काविज हे उसके वाद सर्वे कमांक 301/3 खलिहान एंव उसके वाद सर्वे नंबर 301/2 मरघट है एंव वाद में रास्ता है इसलिये मौके पर बटांकन डाला जावे। तहसीलदार रौन ने प्रकरण कमांक 2/2002-03 अ-3 पंजीबद्व किया एंव जांच व सुनवाई कर आदेश दिनॉक 8-3-2003 पारित करके पटवारी प्रस्ताव अनुसार बटांकन करते हुये नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये। इस आदेश से दुखी होकर आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, लहार ने प्रकरण कमांक 93/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-8-2005 से अपील इस आधार पर निरस्त कर दी कि आवेदक को व्यवस्थापित की गई भूमि खसरा नंबर 301/1 रकबा 0.115 है. पीछे की तरफ होना तथा खेती बरना बताया है। रिकार्ड के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि अपीलांट मुख्य सड़क से लगी खलिहाल भूमि खसरा नंबर 299 से लगी शासकीय भूमि खसरा नंबर 301/2 एंव 301/3 जिसकी चौईयत कमशः खलिहाल एंव मरघट है पर बटांकन कराना चाहता है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह आगे चलकार संपूर्ण शासकीय आराजी खलिहान पर काबिज होकर कास्त कर सके तथा मुख्य सड़क से लगी भूमि को हड़प कर व्यवसायिक कार्य में उपयोग कर सके। आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरुद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 45/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-3-2006 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप न करते हुये अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत

की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार रौन के समक्ष आवेदन देकर मांग की गई थी कि ग्राम रौन की भूमि सर्वे नंबर 297, 298 एंव इसी भूमि से लगी हुई सर्वे नंबर 301/1 की भूमि उनके स्वामित्व की भूमि है जो साथ साथ मिली हुई भूमि हैं इसी भूमि से शासकीय भूमि सर्वे कमांक 301/2, 301/3 है जिसमें से 301/2 की भूमि मरघट एंव 301/3 की भूमि खलिहान के रूप में शासकीय रिकार्ड में अंकित चली आ रही है । मौके के अनुसार सर्वे नंबर 299 के वाद सर्वे नंबर 301/1 पर वह काविज हे उसके वाद सर्वे कमांक 301/3 खलिहान एंव उसके वाद सर्वे नंबर 301/2 मरघट है एंव वाद में रास्ता है इसलिये मौके पर बटांकन डाला जावे और आवेदकगण के प्रार्थना पत्र पर से ही तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 2/2002-03 अ-3 पंजीबद्व करके स्थल की जॉच कराई है। स्थल पर जॉच करने से ज्ञात हुआ कि आवेदक को व्यवस्थापित की गई भूमि खसरा नंबर 301/1 रकबा 0.115 है. पीछे की तरफ है जिस पर वह खेती करता है। रिकार्ड के अवलोकन से वह भी पाया गया कि अपीलांट मुख्य सड़क से लगी खलिहाल भूमि खसरा नंबर 299 से लगी शासकीय भूमि खसरा नंबर 301/2 एंव 301/3 जिसकी नोईयत कमशः खलिहाल एंव मरघट है पर बटांकन कराना चाहता है जो संभव नहीं है क्योंकि संभावना यह है कि आगे चलकर आवेदकगण संपूर्ण शासकीय आराजी खलिहान पर काबिज हो जावेंगे तथा मुख्य सड़क से लगी भूमि पर काविज होकर उसका उपयोग व्यवसायिक कार्य में कर सकते हैं। जब तहसीलदार ने इस प्रकार की स्थिति मौके की अनुसार जांच कराने पर पाई, तब आदेश दिनॉक 8-3-2003 से आवेदकगण के मांग आवेदन को अमान्य किया है। प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन स्थिति यह है कि ग्राम रौन अभिलेख में भले ही ग्राम लिखा आ रहा है किन्तु वह तहसील मुख्यालय का ग्राम होकर काफी बड़ी आबादी का गॉव है एंव शासकीय मरघट एंव खलिहान की भूमि होकर

सार्वजनिक निस्तार की भूमि है और मरघट भूमि तथा मरघट पर जाने के लिये आमरास्ते की भूमि में किसी प्रकार का फेरबदल करना आमनागरिकों के हित में नहीं है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी लहार ने आदेश दिनांक 30-8-05 पारित करते समय एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 17-3-06 पारित करते समय तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदकगण को किसी प्रकार की सहायता दिया जाना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन वाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-3-2006 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर